भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5215

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के अंतर्गत कामगार

5215. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से 31 जनवरी, 2026 तक देश में राज्य-वार और वर्ष-वार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2026 तक मनरेगा के लिए केन्द्रीय बजट आवंटन और संस्वीकृतियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूरी के लिए पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना के बदले वीबी-जी-राम-जी योजना के अंतर्गत 60:40 (केन्द्र: राज्य) वित्त-पोषण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु राज्य-वार बजट और आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के बजट में अब राज्य के राजकोष (40 प्रतिशत) की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में प्रति परिवार 100 दिन से 125 दिनों के वर्धित रोजगार का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्यों की 40 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी के रूप में राज्यों की वित्तव्यवस्था की पुष्टि के संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (19.03.2026 तक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की राज्य और वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (19.03.2026 तक) महात्मा गांधी नरेगा के तहत बजट अनुमान (बीई) स्तर और संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर निधि के आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2020-21	61,500.00	1,11,500.00
2	2021-22	73,000.00	98,000.00
3	2022-23	73,000.00	89,400.00
4	2023-24	60,000.00	86,000.00
5	2024-25	86,000.00	86,000.00
6	2025-26 (18.03.2026 तक)	86,000.00	88,000.00

महात्मा गांधी नरेगा के तहत निधियों का कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं होता है। वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक) महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी कुल निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका की गारंटी के लिए मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।

चूंकि अधिनियम अभी प्रभाव में आना शेष है, इसलिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उचित परामर्श करके वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मानक आवंटन से संबंधित नियमों सहित विस्तृत नियमों को अंतिम रूप दे रहा है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका की गारंटी के लिए मिशन (ग्रामीण) हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्से का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान (बीई) स्तर पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। संबंधित अनुमानित राज्य हिस्सेदारी के संभावित समावेश के साथ, कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण परिवर्तन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि में महत्वपूर्ण तेजी आने की आशा है।

अनुबंध-I

दिनांक 24.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5215 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (19.03.2026 तक) महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की राज्य और वर्ष-वार संख्या।

क्र. सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्रप्रदेश	7952471	7737145	7599041	7542774	7523182	6752792
2	अरुणाचल प्रदेश	243521	278558	287823	282304	311382	357364
3	असम	3572836	3987736	3430173	3347851	2634302	2295427
4	बिहार	5814920	5411860	5775151	5383600	5617876	5600915
5	छत्तीसगढ़	6017874	5503994	4718431	4413569	4483759	3819569
6	गोवा	4365	3478	3862	2186	3192	2508
7	गुजरात	1931861	1843874	1630751	1511621	1306179	1025706
8	हरियाणा	651129	569854	440703	524003	478817	373839
9	हिमाचल प्रदेश	891622	995654	880712	949218	1026189	728719
10	जम्मू और कश्मीर	1127905	1085127	989074	993446	1055726	1044077
11	झारखंड	3204487	3099049	2497483	2559494	2311217	2596851
12	कर्नाटक	5668569	6361291	5315915	5402381	5170454	3920788
13	केरल	1882654	1898995	1758623	1661622	1540284	1384371
14	लद्दाख	38058	37457	39176	36516	37175	37494
15	मध्य प्रदेश	10530733	9568909	7550368	6373186	5772266	5915103
16	महाराष्ट्र	3109789	3688009	3706159	4128113	5111982	5983728
17	मणिपुर	604230	593711	374635	503268	565779	570099
18	मेघालय	752426	731124	645192	629087	544506	558616
19	मिजोरम	222695	213601	218722	211413	211355	219636
20	नागालैंड	418825	463815	491446	468211	216328	282674
21	उड़ीसा	6214748	5553162	5174500	4991241	3376574	3528303
22	पंजाब	1184204	1072149	1018291	1015694	984897	888478

23	राजस्थान	11097642	10085964	8807151	8696618	7723309	5941660
24	सिक्किम	76985	74550	71020	70327	68677	61466
25	तमिलनाडु	7852828	7995928	7579248	7939116	7433962	6210516
26	तेलंगाना	5428833	4878034	4544958	4062113	4244190	3330688
27	त्रिपुरा	833205	852510	819531	842843	813522	762069
28	उत्तर प्रदेश	11602821	9543614	8367847	8127953	7582510	6174082
29	उत्तराखंड	909281	792067	681227	638095	575324	480121
30	पश्चिम बंगाल	11826053	11121629	2020079	9415	0	0
31	अंडमान और निकोबार	9532	5715	5387	5025	3523	2422
32	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	2188	10496	9423
33	लक्षद्वीप	75	24	101	77	0	0
34	पुदुचेरी	53406	41030	45511	58705	50264	50099
कुल		111730583	106089617	87488291	83383273	78789198	70909603

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

अनुबंध-II

दिनांक 24.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5215 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2020-21 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1	आंध्रप्रदेश	7203.29	7707.21	7353.67	8008.81	7195.81	10306.30
2	अरुणाचल प्रदेश	586.53	560.70	427.35	578.32	453.74	340.52
3	असम	1652.77	1929.70	2221.38	2056.49	2223.32	2605.77
4	बिहार	7649.56	6715.83	6200.03	6402.23	5407.37	7288.09
5	छत्तीसगढ़	2701.47	3354.85	2895.12	3420.39	3894.34	3959.69
6	गोवा	2.76	3.70	0.88	5.05	0.04	3.57
7	गुजरात	952.71	1540.54	1802.26	1694.60	1615.24	1478.77
8	हरियाणा	449.38	590.19	477.87	373.99	723.73	764.55
9	हिमाचल प्रदेश	967.58	1203.28	1000.96	1164.85	976.34	950.39
10	जम्मू और कश्मीर	1155.58	1151.20	921.60	1051.00	950.14	1152.70
11	झारखंड	2957.48	2705.64	2922.27	2719.03	3067.88	3434.94
12	कर्नाटक	3342.36	5709.90	5431.67	6218.59	6034.89	5510.61
13	केरल	2831.75	3136.44	3532.57	3830.97	3554.85	4286.97
14	मध्य प्रदेश	4939.97	6252.03	5891.65	5707.47	8479.09	9088.68
15	महाराष्ट्र	6117.11	4420.32	3041.48	2545.89	2056.46	1605.82
16	मणिपुर	959.26	581.99	0.95	1086.63	563.11	1307.23
17	मेघालय	1065.03	1155.09	913.86	1118.77	1123.32	1287.10
18	मिजोरम	549.30	611.65	507.96	540.40	550.51	592.16
19	नागालैंड	362.69	287.85	641.50	839.76	570.56	484.97
20	उड़ीसा	3502.53	3763.80	4906.78	4707.52	5687.28	5224.03
21	पंजाब	970.29	1331.61	1169.84	1182.14	1259.20	1241.07
22	राजस्थान	6076.32	7581.87	8683.98	9648.65	9867.75	8922.22
23	सिक्किम	104.75	97.57	112.19	92.71	112.79	110.86
24	तमिलनाडु	6860.83	7585.49	12616.53	9745.72	9648.36	8795.91
25	तेलंगाना	2404.20	3825.31	3520.87	2992.21	4116.10	4122.66
26	त्रिपुरा	740.54	1041.70	1043.59	925.34	990.14	1195.23
27	उत्तर प्रदेश	8787.90	9721.48	9844.25	10650.64	8525.15	12046.50

28	उत्तराखंड	420.71	626.43	553.81	792.66	642.60	889.75
29	पश्चिम बंगाल *	0.00	0.00	0.00	1.33	7507.80	11468.51
30	अंडमान और निकोबार	2.46	4.44	0.00	9.60	7.68	4.86
31	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	7.96	9.02	2.21	0.00	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00	0.32	0.00	24.95	0.30	0.00
33	पुदुचेरी	39.86	40.56	58.77	69.00	13.07	26.84
34	लद्दाख	69.33	85.98	62.64	1.62	59.04	22.64
	कुल	76434.25	85333.70	88760.50	90207.30	97878.01	110519.93

*केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के कारण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी किए जाने को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार 09 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।